न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 3/ 2021 **दायर तारीख :– 16-02-2021**

1. पप्पू पुत्र प्रभू जाति माली निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–प्रबन्ध अधिनियम

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर , अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–24.03.2021

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 595 के हाल खसरा नंबर 1284/0.39, 1285/0.42, 1286/0.45, 1287/0.17, 1288/0.16, 1291/0.46 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1992 को खरीदी थी, जिसके साबिक खसरा नंबर 1568, 1569, 1572, 1573 रहे है। उक्त रजिस्ट्री में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र प्रभू जाति माली अंकित है। प्रार्थी की उपरोक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का ने भी सही नाम पप्पू पुत्र प्रभू जाति माली दर्ज किया था, लेकिन बाद में जमाबंदी बनाते समय गलत रूप से इन्द्राज करते हुए प्रार्थी का नाम पप्पू के स्थान पर पालू पुत्र प्रभू का अंकन कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम पप्पू पुत्र प्रभू जाति माली करना चाहिए था जो कि राजस्व कर्मचारियों की भारी लिपीकीय भूल है जो कि दुरूस्त करने योग्य है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र प्रभू के बजाय पालू पुत्र प्रभू अंकित कर दिया गया, जो कि लिपिकीय त्रुटि है, जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात शिक्षा संबंधी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र प्रभू जाति माली ही अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

निवेदन है कि वाकै ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 595 के हाल खसरा नंबर 1284/0.39, 1285/0.42, 1286/0.45, 1287/0.17, 1288/0.16, 1291/0.45 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर में की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पालू पुत्र प्रभू जाति माली के स्थान पर पप्पू पुत्र प्रभू जाति माली दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम विराटनगर खाता संख्या 595 संवत् 2073–2076, नकल खतौनी जमाबंदी ग्राम विराटनगर, नकल नामान्तकरण जमाबंदी ग्राम विराटनगर, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम विराटनगर, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1972, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति आधार कार्ड, अध्यक्ष नगरपालिका विराटनगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि पेश किए है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 595 के हाल खसरा नंबर 1284/0.39, 1285/0.42, 1286/0.45, 1287/0.17, 1288/0.16, 1291/0.45 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर में की खातेदारी में हिस्सा 159/1640 प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। यह है कि प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र प्रभू का नाम गलत इन्द्राज करते हुए पालू पुत्र प्रभू अंकित कर दिया, जो की लिपिकीय भूल है, जो कि दुरूस्त करने योग्य है। आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से पालू पुत्र प्रभू दर्ज है, जो गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी पप्पू पुत्र प्रभू के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड 3113–5118–9793 आदि में वास्तविक नाम पप्पू पुत्र प्रभू है। तथा आराजी मुतनाजा के विक्रय पत्र में भी केता के रूप में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र प्रभू अंकित है। तथा नामान्तकरण जमाबंदी में भी प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र प्रभू का अंकन किया हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थी पप्पू पुत्र प्रभू जाति माली का नाम काबिल दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाके ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 595 के हाल खसरा नंबर 1284/0.39, 1285/0.42, 1286/0.45, 1287/0.17, 1288/0.16, 1291/0.45 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पालू पुत्र प्रभू जाति माली के स्थान पर पप्पू पुत्र प्रभू जाति माली दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 24.03.2021 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)